

संभांक क/जति०कले०/१४/

कोरबा, दिनांक जनवरी 199

जतिरिखत संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय बिलासपुर संभाग
बिलासपुर द्वारा कोरबा स्थित नजूल भूमि कां० 235/1 रकबा 74.10 ए०
में से रकबा 15.00 एकड़ भूमि शासकीय कन्या महाविद्यालय कोरबा के भवन
निर्माण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार कोरबा से अनुक्रमागत
अधिकारी कोरबा के माध्यम से पुतिवेदन प्राप्त किया गया ।

तहसीलदार कोरबा द्वारा पुरनाधोन भूमि शिक्षा विभाग को
हस्तांतरण करने के संबंध में साडा कोरबा नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा
लोक निर्माण विभाग १ भ/स १ तथा स्वास्थ्य विभाग से आपत्ति पुनाण
पत्र प्राप्त कर पुकरण में संलग्न किया गया । उक्त आपत्ति पुनाण पत्र में
आवेदक संस्था को 10.00 एकड़ भूमि हस्तांतरण करने हेतु सहमति व्यक्त की
गई है । तहसीलदार कोरबा द्वारा पुतिवेदित किया गया है कि नोके पर
10.00 एकड़ भूमि रिक्त है तथा उस पर कोई स्थाई/अस्थाई संरचना निर्मित
नहीं है । उनके द्वारा उक्त भूमि शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण
हेतु हस्तांतरण करने के लिये अनुमति किया गया है । आवेदित भूमि मण्डल
शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित की जानी है का:
उमकी पुख्याजी तथा वार्षिक भू-भाटक परिगणित करने की आवश्यकता नहीं
है ।

तहसीलदार कोरबा के पुतिवेदन के आधार पर पुरनाधोन भूमि
कां० 235/1 में रकबा 74.10 एकड़ में से रकबा 10.00 एकड़ १ दस एकड़ ।
मात्र १००० परि० चार-। कडिका 36 के तहत शिक्षा विभाग मण्डल शासन
को शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु निम्न शर्तों के अधीन
हस्तांतरित की जाती है --

- 1/ निर्माण कार्य कां० 235/1 से रकबा 10.00 ए० पर ही करना होगा
- 2/ पुरनाधोन भूमि पर भवन निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से
अभिमत अनुमोदित करना अनिवार्य होगा ।